बिल का सारांश

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2024

- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2024 को 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल निम्नलिखित एक्ट्स में संशोधन करता है: (i) केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक्ट, 1963, (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली एक्ट, 1991, और (iii) जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, 2019। ये कानून पुद्दूचेरी, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं) की विधानसभाओं की संरचना और कामकाज का प्रावधान करते हैं।

- **एक साथ चुनाव**: इस बिल के साथ लोकसभा में संविधान (एक सौ उन्तीसवां संशोधन) बिल, 2024 भी पेश किया गया। यह संविधान संशोधन बिल चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वह एक ही समय पर लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव करा सकता है (जिसे एक साथ चुनाव कहा जाता है)। इसी के मद्दनेजर यह बिल एक साथ चुनावों के प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनावों पर भी लागू करता है।

- **एक साथ चुनाव कराने की शुरुआत**: संविधान संशोधन बिल एक साथ चुनाव की शुरुआती प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। संवैधानिक संशोधन बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अधिसूचना की तारीख के बाद गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। बिल इस प्रावधान को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं पर लागू करता है।

- **केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के समय से पहले भंग होने की स्थिति में चुनाव**: अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा अपने पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल से पहले ही भंग कर दी जाती है, तो नई विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे, जिसका कार्यकाल विधानसभा के शेष कार्यकाल के बराबर होगा। संवैधानिक संशोधन बिल के तहत, यही प्रावधान लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं पर लागू होता है।

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अनमोल कोहली
anmol@prsindia.org

18 दिसंबर, 2024